

ANNEXURE NO.-2 (On 100 Rupees Stamp)

AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO MBBS COURSE 2026-2027 SESSION THIS DEED OF AGREEMENT BOND IS EXECUTED AT ON THIS DAY OF BETWEEN

NAME S/O, D/O, W/O RESIDING
AT(PERMENTENT ADDRESS)..... (TEMPORARY ADDRESS
..... MOBILE NO
E-MAIL ID AADHAR NO.....

Hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part AND

Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government") of the second part.

WHEAREAS FIRST PARTY has applied for admission to MBBS course and FIRST PARTY has been selected to the said course. As per the Prospectus, the FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period not less the two year after successful completion of the MBBS course. If the FIRST PARTY fails to serve the government for a period of two year the FIRST PARTY shall forthwith pay a sum of Rs. 10 Lacs to Government at the specified Government Treasury. During the above Period the FIRST PARTY shall be paid Stipend and the Government will request their services within a period the three months from the date of successful completion of the MBBS course. In case the Government does not provide services in mentioned period, the BOND shall be released : AND WHEREAS the FIRST PARTY has also agreed that on successful completion of the MBBS course, his/her certificates relating to MBBS course will not be given to the FIRST PARTY unless the FIRST PARTY successfully Serves the Government for a period of two year or pay to the Government on demand the sum of Rs. 10 Lacs (Rupees Ten Lacs) only.

If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rates specified by the Government as per applicable law during the period of delay: AND WHEREAS the Government have, at the request of the FIRST PARTY(Name) employed asgranted slipend to him/her for a period of 24 months effect from completion of Internship in order to enable his/her to study at ASMC, Kanpur dehat . AND WHERE AS if the FIRST PARTY(Name) work for a period of less than 24 months during the MBBS course, the proportionate amount will be treated as stipend and the FIRST PARTY(Name) shall pay back in addition to the security amount of Rs(As per calculation)the balance amount of stipend to the Government. This bond shall in all respects be governed by the laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.

NOW THIS DEEP OF AGREEMENT BOND WITNESSES AS FOLLWOS:-

1. The FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period of two year on successful completion of the MBBS course. If the FIRST PARTY fails to serve the Government for a period of two year, FIRST PARTY shall pay forthwith a sum or Rs. 10 lacs (Rupees Ten Lacs only) to the Government in the specified Government Treasury.
2. The FIRST PARTY agrees that till the successful completion of the two year service to the Government or till the payment of Rs. 10 lacs (Rupees Ten Lacs only) is paid the certificates relating to MBBS course shall be in the custody o fthe Concerned Institution/University/College and the Government has a First lien over all the certificates gained by the candidates at the time of admission.
3. The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution/University/College for retention of the certificates till the lien of Government is cleared/Discharged.
4. This BOND shall in all respect be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where neccessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.
5. If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, First PARTY shall be delay, filing which Government shall have right to recover the aforesaid amount together with interest as arrear of land revenue.
6. The FIRST PARTY shall borne the Stamp duty chargeable on this BOND IN WITNESS WHEREOF parties to this DEED have signed this BOND on the date first above mentione

For and behalf of
FIRST PARTY
Witnesses:

For and behalf of
Governor

छात्र/छात्रा द्वारा वचनबद्धता
(20रू स्टाम्प पेपर)

श्रीमान प्रधानाचार्य/अध्यक्ष-प्रवेश समिति,
ए0एस0एम0सी0 कानपुर देहात।

शपथपत्र मिनजानिब मैं पुत्र/पुत्री श्री
निवासी
सशपथ निम्न बयान करता/करती हूँ:-

1. यह कि शपथी ने वर्ष में इण्टरमीडियट एवं वर्ष (अन्य) की परीक्षा उत्तीर्ण किया था तथा उसके बाद से अब तक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता रहा/करती रही है। मैं एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश के अलावा किसी भी विद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय (सरकारी/अर्द्धसरकारी शिक्षण संस्थान) में कहीं भी किसी भी पाठ्यक्रम में आवंटन प्राप्त का प्रवेश नहीं लिया था/प्रवेशित नहीं हूँ तथा किसी भी संस्थान द्वारा प्रवेश से निष्कासित या वंचित नहीं किया गया है।
2. यह कि शपथी का प्रवेश अनन्तिम (Provisional) होगा, तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्र/अभिलेख सत्य है व प्रवेश सम्बन्धी प्रस्तुत सूचना/अभिलेख/प्रमाण पत्र आदि की जाँच कराये जाने पर गलत पाया जाता है या किसी भी प्रकार की कमी/कूटचरित पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी एवं गलत शपथ पत्र देने के लिए मेरे विरुद्ध उच्च अधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा तथा मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (बी0एन0एस0) की संगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
3. यह कि शपथी इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययन के दौरान कॉलेज/छात्रावास/कालेज परिसर के बाहर, कहीं भी/किसी भी आवांछनीय या असामाजिक/अपराधिक गतिविधियों, लड़ाई-झगड़ा/अनुशासनहीनता इत्यादि में सम्मिलित नहीं होऊंगा। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मैं अनुशासन बनाए रखूंगा और समय-समय पर कॉलेज द्वारा लागू अधिनियम अध्यादेशों, विनियम और अन्य निर्देशों के प्रावधानों का पालन करूंगा। इस वचन के उल्लंघन के मामले में, और यदि भविष्य में किसी भी घटना/प्रकरण में संलिप्त पाया जाता है या नाम प्रकाश में आता है तो कॉलेज प्रशासन/सम्बन्धित अधीक्षक/सम्बन्धित विभागाध्याक्षों द्वारा मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक/निष्कासन या अन्यथा की कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा तथा जो भी कार्यवाही की जायेगी वह मुझे मान्य होगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
4. यह कि मैं रैगिंग पर रोक लगाने वाले कानून और इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय और केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ा और समझा है। मैं रैगिंग में भाग नहीं लूंगा, बढ़ावा नहीं दूंगा या उसका प्रचार नहीं करूंगा और न ही किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट/अन्य हानि पहुँचाऊंगा। मैं उल्लेखित प्रावधानों या लागू कानून के अनुसार दंडित किया जा सकता हूँ।
5. मैं एतद्वारा प्रतिज्ञा करता हूँ कि बिना अनुमति के दो पहिया/चार पहिया वाहन नहीं रखूंगा।

कानपुर देहात

दिनांक:

सत्यापन

शपथी

मैं, बाहलफ तस्दीक करता हूँ कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूँ तथा इस शपथ-पत्र की धारा-1 से 5 के सभी कथन मेरे निजी ज्ञान में सब सत्य व सही है। कुछ छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें। तस्दीक आज दिनांक:-..... को कानपुर देहात में की गई है।

शपथी

छात्र/छात्रा द्वारा वचनबद्धता
(20रू स्टाम्प पेपर)

श्रीमान प्रधानाचार्य/अध्यक्ष-प्रवेश समिति,

ए0एस0एम0सी0 कानपुर देहात।

शपथपत्र मिनजानिब मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

..... सशपथ निम्न बयान करता/करती हूँ:-

1. यह कि शपथी उपरोक्त पते का निवासी है तथा शपथपत्र के समस्त तथ्यों से पूर्णतया वाकिफ है।
2. यह कि शपथी ने वर्ष में इण्टरमीडियट एवं वर्ष(अन्य)..... की परीक्षा उत्तीर्ण किया था तथा उसके बाद से अब तक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता रहा/करती रही है।
3. यह कि शपथी इस चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश के अलावा किसी भी विद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय (सरकारी/अर्द्धसरकारी शिक्षण संस्थान) में कहीं भी किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेशित/अध्ययनरत नहीं है तथा पूर्व में नीट यू0जी0 की प्रवेश परीक्षा से किसी भी पाठ्यक्रम में आवंटन प्राप्त कर प्रवेश नहीं लिया था/प्रवेशित नहीं है।
4. यह कि शपथी का प्रवेश अनन्तिम (Provisional) होगा, तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण/अभिलेख सत्य है व प्रवेश सम्बन्धी प्रस्तुत सूचना/अभिलेख/प्रमाण पत्र आदि की जाँच कराये जाने पर गलत पाया जाता है या किसी भी प्रकार की कमी/कूटचरित पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी एवं गलत शपथ पत्र देने के लिए मेरे विरुद्ध उच्च अधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा तथा मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (बी0एन0एस0) की संगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
5. यह कि शपथी इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययन के दौरान कॉलेज/छात्रावास/कॉलेज परिसर के बाहर, कहीं भी/किसी भी अपराधिक गतिविधियों, लड़ाई-झगड़ा/अनुशासनहीनता इत्यादि में सम्मिलित नहीं रहेगा। यदि भविष्य में किसी भी घटना/प्रकरण में संलिप्त पाया जाता है या नाम प्रकाश में आता है तो कॉलेज प्रशासन/सम्बन्धित अधीक्षक/सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा तथा जो भी कार्यवाही की जायेगी वह मुझे मान्य होगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

कानपुर देहात

दिनांक:

सत्यापन

शपथी.....

मैं, बाहलफ तस्दीक करता हूँ कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूँ तथा इस शपथ-

पत्र की धारा-1 से 5 के सभी कथन मेरे निजी ज्ञान में सब सत्य व सही है। कुछ छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें। तस्दीक आज दिनांक कानपुर देहात में की गई है।

शपथी